<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 50/2016 जिला भीलवाड़ा

1. श्री जमनालाल पुत्र गोरधन
2. श्री भैरूलाल पुत्र मोहन
3. चम्पालाल पुत्र गोकल जाति बैरवा
4. अम्बालाल पुत्र सवाईराम
5. मुकेश पुत्र नंदराम समस्त जाति कुमावत निवासी कारोईकलां तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांटस

बनाम्

1. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा दिनांक 12.03.2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2016 जिसके द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3354 दिनांक 20.07.2015 यथावत रखा गया है।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री आर0एस0राणावत(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः—श्री लोकपाल सिंह
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

<u>निर्णय</u> दिनांकः—24.11.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कारोईकलां स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 3302/1 रकबा 0.02 गैरमुमकीन बाड़ा रेस्पो0 पुष्पादेवी के पति भंवरलाल के नाम पर अस्थाई नियमन हो रखा है। जिसका आमल—दरामद जमाबंदी में हो गया था। उक्त भूमि को अपने नाम कराने हेतु दिनांक 21.05.2015 को पुष्पादेवी पत्नि भंवरलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीया के पक्ष में नामातंरण स्वीकृत कर दिया। जबकि उक्त भूमि राजमार्ग की सीमा पर स्थित है। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में दर्ज करवायी गई, जिसे उनके द्वारा दिनांक 12.03.2016 को खारिज कर दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर वर्तमान द्वितीय अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. खसरा नम्बर 3302/1 की अलग से नक्शा तरमीम नही है।

2. राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 के आधार पर उक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की गई है मगर अतिक्रमण बाबत कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा अप्रार्थीगण कृषक की श्रेणी में भी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

3. विवादित भूमि सड़क सीमा के अंदर है।

4. अस्थाई नियमन को अधिकार अभिलेख में स्थाई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तथा अप्रार्थी को सीधे ही खातेदारी दी गई जो गलत है। अंत में जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 12.03.2016(प्रकरण संख्या 1/2016) एवं तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पारित नामातंरण संख्या 3354 दिनांक 20.07.2015 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार यदि स्थगन आदेश नही दिया जायेगा तो अप्रार्थी निर्माण कार्य कर लेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रकरण संख्या 02/2016 जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा दिनांक 12.03.2016 नामातंरण संख्या 3355 ग्राम कारोईकलां की फोटोप्रति प्रमाणित प्रस्तुत की गई।

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया।

बहस सुनी गई, बहस में वकील अपीलांट ने अपील तथ्यो को दौहराया तथा बताया कि खसरा नम्बर 3302 रकबा 0.03 गैरमुमकीन बाड़ा है। उक्त भूमि नेशनल हाईवे की सीमा के भीतर आती है। पूर्व में उक्त भूमि गैर खातेदारी मे चढाई हुई थी। इंतकाल खारिज कर पुनः सिवायचक दर्ज किया गया। मगर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.05.2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को मंजूर कर दिनांक 15.07.2015 को सीधे ही खातेदार दर्ज किया गया। जबकि उक्त बाड़े में मंदिर भी स्थित है तथा दिनांक 10.01.2013 के परिपत्र में सड़क सीमा से 100 वर्गगज के भीतर नियमन नहीं करने बाबत निर्देश दिये गये है। फिर भी नियम विरूद्ध आदेश दिया गया है। जिसे निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किया जायें।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मियाद के बिन्दु को देखा गया। अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दिनांक 12.03.2016 का है तथा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 28.03.2016 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रकरण को निस्तारित किया गया था। उक्त परिपत्र के अनुसार दिनांक 30.01.2006 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे सिवायचक एवं अन्य गैरमुमकीन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के आदेश जारी किये गये। दिनांक 11.01.2008 के द्वारा अवधि 01.01.1995 को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 कर दिया गया। इस अवधि को भी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.01.2013 के परिपत्र से दिनांक 01.01.2005 कर दिया गया।

उक्त परिपत्र के बिन्दु नम्बर 1 में नियमन योग्य नहीं हो सकती है, ऐसी भूमियों का विवरण दिया गया है। बिन्दु संख्या 1 के छठे बि[illegible] यह अंकित है। रेलवे सीमा अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य सरकार अथवा पंचा[illegible] द्वारा संधारित किसी सड़क के 100 गज में स्थित भूमि का नियमन नहीं किया जा सकेगा तथा [illegible] परिपत्र के बिन्दु संख्या 02 में ऐसे लोगो का विवरण दिया हुआ है। [illegible] का लाभ मिलेगा। इसमें कृषि श्रमिक कारीगर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल परिवार के सदस्य शामिल है। इसके अलावा इसमें अधिकत्तम भूमि 500 वर्गगज से ज्यादा भूमि नियमित नही की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

सकेगी। इसके परिपत्र के बिन्दु नम्बर 3 में बिन्दु नम्बर 2 के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के मामले में भी इसे 1 जनवरी 2005 से पूर्व अतिक्रमण के मामलों में लागू माना गया है।

जमाबंदी ग्राम कारोई संवत 2069 खाता संख्या 1136 नया खसरा नम्बर 3302/1 रकबा 3 बिस्वा भूमि बाड़े के रूप में दर्ज है तथा उक्त भूमि भंवरलाल पिता नाथूलाल ब्राहम्ण शाकिन्द अस्थाई गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। पूर्व में उक्त भूमि तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 22.02.1983 को बाड़े के लिए भंवरलाल को आवंटित की गई थी। प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर 2013 मुकाम कारोईकलां में एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत प्रकरण बनाकर उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा तहसीलदार स्वीकार कर विवादित खसरा से गैर खातेदारी का इंद्राज दुरूस्त कर खसरा में पैन्सिली इन्द्राज करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 20.02.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिया गया। उक्त प्रकरण संख्या 816/13 के रूप में दर्ज किया गया था। इस आदेश के पालना में नामातंरण संख्या 3059 दिनांक 16.04.2013 को स्वीकृत किया गया। नामातंरण संख्या 2977 ग्राम कारोईकलां से भंवरलाल की विरासत वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 पुष्पादेवी के नाम दिनांक 18.02.2013 से दर्ज की गई तथा नामातंरण संख्या 3059 दिनांक 16.04.2013 से इंद्राज दुरूस्ती से बिलानाम दर्ज की गई तथा नामातंरण संख्या 3354 से उक्त भूमि 3302/1 रकबा 0.03 बाड़ा पुष्पादेवी के नाम खातेदारी में अंकित किया जाना पाया जाता है।

लिखित बहस रेस्पोडेंट अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत की गयी। लिखित बहस के अनुसार रेस्पो0 के द्वारा उक्त आराजियात को कय किया गया और उचित मूल्य और प्रतिफल देकर रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा आराजियात को कय किया गया है।

भंवरलाल पिता नाथूलाल को आराजी नम्बर 3302 में 500 वर्गगज भूमि बाड़े के लिये आवंटित की गई थी। जिसकी शर्तें निम्नानुसार थी–

1. प्रार्थी उक्त बाड़े की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा–पक्का काम तामील नहीं करवाया गया।

2. प्रार्थी को इस भूमि को किसी प्रकार का स्वामित्व अधिकार नहीं रहेगा।

3. राज्य सरकार को उक्त भूमि की आवश्यकता होने पर बिना किसी मुआवजे भूमि अधिग्रहण कर दी जायेगी।

4. उक्त भूमि को प्रार्थी किसी के रहन बक्शीश नहीं कर सकेगा।

उक्त आवंटन दिनांक 22.02.1983 में किया गया। परिपत्र दिनांक 10.01.2013 राजस्व ग्रुप–6 विभाग के अनुसार ऐसी भूमियों का नियमन आवास ग्रह व जानवरों के बाड़े हेतु नही किया जा सकेगा। जो रेल्वे सीमा अथवा राष्ट्रीय राजपथ अथवा राज्य सरकार अथवा पंचायत द्वारा संधारित किसी सड़क के 100 गज में स्थित भूमि हों।

खसरा नम्बर 3302 भूमि सड़क से अटैच है तथा प्रार्थीया किस कैटेगरी में आती है यह आदेश में अंकन नहीं है। ना ही इस बाबत प्रार्थना पत्र में पटवारी की टिप्पणी में प्रार्थीया की केटेगरी अंकित की गई है।

नामातंरण संख्या 2977 से दिनांक 18.02.2013 को भूमि भंवरलाल की बजाय पुष्पादेवी पत्नि भंवरलाल के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में उक्त भूमि भंवरलाल पिता नाथूलाल के नाम अस्थाई गैर खातेदारी में दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

नामातंरण संख्या 3059 के कॉलम संख्या 7 में उक्त भूमि पुष्पादेवी के नाम अस्थाई गैर खातेदार में दर्ज बतायी गई है। कॉलम संख्या 9 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 3302/1 बिलानाम काबिलकाश्त दर्ज की गई है।

नामातंरण संख्या 3354 से उक्त भूमि पुष्पादेवी पत्नि भंवरलाल ब्राहम्ण साकिन्देह खातेदार दर्ज कर दी गई। उक्त नामातंरण दिनांक 20.07.2015 को स्वीकृत होना पाया जाता है तथा नामातंरण की पुश्त पर नक्शाट्रेस चिपका हुआ है। जिस पर 3302/1 को लाल स्याही से पृथक से दिखाया गया है अर्थात उक्त खसरा नम्बर की तरमीम की गई है।

लिखित बहस में वकील रेस्पो0 द्वारा जो बिन्दु बताया गया है कि रेस्पोडेंट के द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गई है। ऐसा कोई दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज दृष्टिगोचर हुआ है। परिपत्र दिनांक 10.01.2013 नियमन से संबंधित है। ना कि आवंटन से और नियमन के प्रकरण में लाभार्थी का उस भूमि पर कब्जा होना अति आवश्यक है और उसके द्वारा ऐसे दस्तावेज भी सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे। पत्रावली पर उपलब्ध पुष्पादेवी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.05.2015 को उनके द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पुष्पादेवी के द्वारा जमाबंदी व पट्टे की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई थी। इस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.05.2015 को ही पटवारी हल्का कारोईकलां को बाद जांच नियमानुसार अमल दरामद किये जाने के निर्देश दिये जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पुष्पादेवी द्वारा दिनांक 20.02.2013 का प्रशासन गांवो के संग अभियान का पट्टा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। उक्त पट्टे के नीचे की तरफ राजस्व ग्रुप–6 विभाग जयपुर राज0–6/2000 दिनांक 10.01.2013 की पालना में जारी किया जाना अंकित किया हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2069–72 ग्राम कारोईकलां की है। उक्त जमाबंदी के कॉलम नम्बर 4 में भंवरलाल पिता नाथूलाल ब्राहम्ण साकेन्देह अस्थायी गैर खातेदार दर्ज है। इसके सामने की ओर पहले नामातंरण संख्या 2977 दिनांक 18.02.2013 से विरासत से भंवरलाल की जगह पुष्पादेवी का नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई। इसके बाद नामातंरण संख्या 3059 दिनांक 16.07.2013 से इन्द्राज दुरूस्ती से बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई। नामातंरण संख्या 3354 दिनांक 20.07.2015 से उक्त भूमि खसरा नम्बर 3302/1 रकबा 0.03 हे0 गैर मुमकीन बाड़ा पुष्पादेवी पत्नि भंवरलाल ब्राहम्ण के नाम खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति हुई। सन् 1983 में भंवरलाल को पूर्णतः अस्थाई तौर पर भूमि शर्तो के आधार पर उपलब्ध आवंटन करवायी गई थी। सन् 22.02.1983 का मूल आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा जारी किया गया था। नामातंरण संख्या 710 से भूमि भंवरलाल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी।

प्रकरण संख्या 816/2013 उनवानी तहसीलदार भीलवाड़ा बनाम पुष्पादेवी में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 ग्राम कारोईकलां में उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा तहसीलदार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। जिसके अनुसार राजस्व रिकोर्ड में किश्म गैर मुमकीन बाड़ा को गैर खातेदारी में दर्ज किया हुआ है। जबकि गैर मुमकीन बाड़े की केवल खसरा में पेंन्सिली इन्द्राज होनी चाहिए। उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2013 को आदेश जारी किया। जिसमें गैर खातेदारी का इन्द्राज दुरूस्त कर खसरा में पेन्सिली इन्द्राज [illegible] का आदेश दिया है तथा संबंधित तहसीलदार को पालना करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या [illegible]/2016 उनवानी जमनालाल एवं अन्य बनाम पुष्पादेवी एवं अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2016 [illegible] अवलोकन किया गया। अपने निर्णय के अंतिम पैरा में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 816/2013 आदेश दिनांक 20.02.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

2013 तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.01.2013 का उल्लेख किया गया है तथा इनके अनुसरण में विवादित नामातंरण संख्या 3354 खोला जाकर निर्णित किया है यह अंकित किया है। जबकि प्रकरण संख्या 816/2013 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। जिसमें पुष्पादेवी को खातेदार घोषित किया हों। अपितु पूर्व राजस्व इन्द्राज को(गैर मुमकीन बाड़ा की गैर खातेदारी) के अंकन को गलत दर्ज होने से दुरूस्त करने का आदेश दिया तथा सिर्फ खसरा में इस बाबत अंकन करने का निर्देश दिया है। मगर अधीनस्थ राजस्व अधिकारीयों ने मनमाने तरीके से बिना सक्षम आदेश के बिल्कुल अविधिक तरीके से नामातंरण संख्या 3354 खोलते हुए पुष्पादेवी को खातेदारी दी है। जिसे किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त नामातंरण में तहसीलदार के आदेश दिनांक 21.05.2015 का हवाला है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार उनके द्वारा पुष्पादेवी के प्रार्थना पत्र पर बाद जांच नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करने का निर्देश है।

तहसीलदार द्वारा उक्त निर्देश पुष्पादेवी के प्रार्थना पत्र के संलग्न पट्टा दिनांक 20.02.2013 के संबंध में दिया गया। उक्त पट्टा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01. 2013 की पालना में जारी किया गया था। उक्त परिपत्र नियमन से संबंधित है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नियमन से संबंधित कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है। फिर भी यदि यह मान लिया जायें कि पुराने आदेश दिनांक 22.02.1983 के क्रम की निरंतरता में जारी किया गया हो तो उसमें अंतिम प्रभावी आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा का है जिसमें गैर खातेदारी के इन्द्राज को हटाने का निर्देश दिया गया था तथा खसरा में पेंन्सिल से इन्द्राज करने के निर्देश दिये गये थे। अप्रार्थीया द्वारा तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश कर लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा कोई आदेश पुष्पादेवी के पक्ष में खातेदारी दर्ज करने का नहीं दिया गया था। अंतिम प्रभावी आदेश दिनांक 20.02.2013 का ही उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा का था। जिसमें खातेदारी दर्ज करने बाबत कोई आदेश नहीं था। राजस्व कार्मिकों में मनमर्जी से उक्त कार्यवाही की है। जिसे अपास्त किया जाना उचित होगा। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा दिनांक 21.05.2015 एवं प्रथम अपील अधिकारी निर्णय दिनांक 12.03.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2015 तहसीलदार भीलवाड़ा एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 12.03.2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1/2016 बउनवानी जमनालाल बनाम पुष्पादेवी खारिज किया जाता है। नामातंरण संख्या 3354 दिनांक 20.07.2015 ग्राम कारोईकलां निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested